न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर –01, फतेहपुर।
उपस्थितः राम किशोर–III .... एच०जे०एस०
जे०ओ० कोड–UP6055
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–548 सन् 2026

UPFT010013842026

मनोज सिंह उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्र मैन बहादुर उर्फ बोड्डा
निवासी– ग्राम भगवन्तपुर, थाना राधानगर, जिला फतेहपुर।

.........आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

........अभियोजक

मुकदमा अपराध संख्या–34 सन् 2025
धारा–318(2), 319(2), 3(5), 338, 308(6)
भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–66C व 66D IT Act.
थाना–साइबर क्राइम पुलिस थाना , जिला फतेहपुर।

आवेदक/अभियुक्त मनोज सिंह की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 34 सन् 2025, धारा 318(2), 319(2), 3(5), 338, 308(6) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66C व 66D IT Act., थाना साइबर क्राइम पुलिस थाना, जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सुनील कुमार सिंह द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर में इस आशय की तहरीर दिया कि समाज में साइबर अपराध के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों पर प्रभावी नियत्रणी हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित प्रतिबिम्ब पोर्टल पर प्रर्दशित हो रही वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतो की दैनिक समीक्षा एवं विगत में विभिन्न समाचार पत्रो में प्रकाशित शीर्षक भगवानपुर बना साइबर फ्राड का गढ़ एवं बिहार पुलिस ने जिले के मिनी जमताडा से भाइयों को पकड़ा के सन्दर्भ में जाच हेतु प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में आनलाईन सकलित इलेक्ट्रानिक/अभिलेखीय साक्ष्य तथा प्रभावी पतारसी सुरागरसी के अनुक्रम में जनपद के थाना गाजीपुर अन्र्तगत स्थित गाव भगवानपुर में स्थानीय कतिपय युवाओं द्वारा मिलकर स्वय को पुलिस अधिकारी बताकर लोगो को फोन काल करके मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तथा गिरफ्तारी की धमकी देकर वित्तीय धोखाधड़ी कर लाभ प्राप्त किया जा रहा है। इसी क्रम में साक्ष्यो के सत्यापन एवं संलिप्त व्यक्तियों की जाय हेतु में प्रभारी निरीक्षक 972310448 सुनील कंधुमार सिंह मय हमराह उप निरीक्षक 202271156 रणधीर सिंह, मुख्य आरक्षी 112441441 अखिलेश उपाध्याय, आरक्षी 202270863 शुभेन्दु, आरक्षी 162831232 अजय कुमार एवं महिला आरक्षी 162831708 सीमा माथुर के मय वाहन

Digitally signed by RAM KISHOR
Date: 2026.04.08 16:06:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बोलेरो सरकारी के साइबर क्राइम पुलिस थाना से रवाना होकर पमरौली पहुंचा कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि साहब भगवानपुर गांव के बाहर पूरब–दक्षिण दिशा में खेतों से लगी नहर पटरी पर स्थित बरगद के पेड़ के नीचे गांव के कुछ युवक एकत्रित है तथा आनलाइन धोखाधड़ी के कार्य में लगे हुए है। यह लोग प्रतिदिन सुबह 08.00 बजे से देर शाम तक बने रहते है तथा वही पर शराब आदि का भी सेवन करते हैं। यदि आप सर्तकता बरतकर नजदीक तक पहुंच जाये तो सभी मौके पर ही पकडे जा सकते हैं। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर साथ लेकर सडक मार्ग से लगी नहर पटरी के सामने पहुंचा तो मुखबिर द्वारा वाहन से उतरकर बरगद पेड की तरफ इशारा करके मौके से चला गया कि प्रभारी निरीक्षक द्वारा हमराह पुलिस बल को आवश्यक दिशा–निर्देश देकर सुखी नहर के मध्य से झुककर पैदल बरगद पेड के करीब पहुंचकर रुककर सुना गया तो एक व्यक्ति फोनकर किसी को पोर्न वीडियो देखने को लेकर मुकदमा दर्ज होने तथा फोर्स भेजकर तत्काल उठवा लेने की बात कर रहा था कि इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाने पर कि एकत्रित लोग आम जनमानस को फोन पर डरा धमकाकर वित्तीय धोखाधड़ी के कार्य में लिप्त है, को हंमराह फोर्स की मदद से घेराबन्दी करते हुए एक बारगी. दविस दी गयी तो खुला स्थान होने के कारण सभी लोग अलग अलग दिशा में भागे जिनमें से मौके से 03 व्यक्तियो को पकडने में सफलता मिली तथा करीब 8 से 10 लोग भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। मौके पर पकडे गये तीनो व्यक्तियो से बारी बारी से नाम पता पूछते हुए हमराही उपनिरीक्षक श्री रणधीर सिंह से जामा तलाशी लिवाई गयी तो एक ने अपना नाम जितेन्द्र सिंह पुत्र मैन बहादुर सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम भगवानपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर बताया, जिसकी जामा तलाशी पर दाहिने हाथ से एक मल्टीमीडिया मोबाइल फोन Realme Narzo 70X 5G Model. Color Forest Green IM–1 862859070784950, 862859070784943 मिला जिसमें मोबाइल सिम वोडाफोन न० 95039xxxxx लगा है तथा पहने पैंट की दाहिनी जेब से 150/–रुपये मिला। दूसरे ने अपना नाम त्रिभुवन सिंह उर्फ राम सनेही पुत्र स्व० रोशन सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम भगवानपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर बताया जिसकी जामातलाशी पर पहने ब्लैक कलर लोवर की दाहिनी जब से एक मल्टीमीडिया मोबाइल फोन Realme c65 5G Model, Color Fither Green IMEI–869452070578375, 869452070578367 मिला जिसमें 02 मोबाइल सिम जियो कम्पनी क्रमशः 81770xxxxx व 63884xxxxx लगी है। दाहिने हाथ से एक कीपैड मोबाइल हीरो शक्ति कम्पनी रंग ब्लैक व आसमानी पट्टी माडल जिसकी IMEI 356904485374535, 356904485374543 मिला जिसमें मोबाइल सितः वोडाफोन 73094xxxxx लगी है तथा पहने जैकेट के दाहिनी तरफ के जब से 200/–रूपये बरामद हुआ। तीसरे ने अपना नाम राहुल सिंह पुत्र मान सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मीरपुर थाना थरियांव जनपद फतेहपुर, हाल पता–ससुराल ग्राम भगवानपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर बताया जिसकी जामा तलाशी पर पहने पेट की दाहिनी जेब से एक मल्टीमिडिया मोबाइल फोन TECNO Spark 6Air Color Grey, IMEI–355972119129329, 355972119129337 मिला जिसमें एक सिम मोबाइल कबर में अलग से रखा Airtel Compony IMSI 8991000923322464418U मिला तथा मोबाइल फोन में JIO SIM No–94539xxxxx मिला। पकडे गये तीनो व्यक्तियो से वित्तीय धोखाधडी विषयक कृत्य तथा तरीके के बावत् कड़ाई से पूछताछ पर बता रहे है कि साहब यंहा भगवानपुर गांव में हमारे अतिरिक्त अन्य बहुत लोग भी फ्राड कार्य में लिप्त है। अभी आप लोगों के आने पर यंहा से गांव के रिंकू सिंह पुत्र गोली उर्फ फरारी मो०न०, देव नरायन सिंह पुत्र कृपाल सिंह मो0 नं0 90449xxxxx, अनुज सिंह पुत्र मान सिह मो०न० 95806xxxxx, मनोज सिंह पुत्र मैन बहादुर उर्फ बोड्डा मो0 नं0 कुलदीप सिंह पुत्र गौरी मो0 न 0 96966xxxxx, शिवम सिंह पुत्र गौरी मो0 न 0 86040xxxxx, दीपक सिंह पुत्र छेदा सिंह मो0 नं0 96699xxxxx, अखिलेश उर्फ भूरा सिंह पुत्र छेदा सिंह मो0 नं0 73884xxxxx, 96968xxxxx तथा सोनू पुत्र जयकरन सिंह एवं सुग्ग पुत्र जयकरन सिंह भागे थे। त्रिभुवन उर्फ राम सनेही सिंह ने यह भी बताया कि यहा शान् सिंह पुत्र स्व०राकेश निवासी ग्राम भगवन्तपुर थाना राधानगर जनपद फतेहपुर मो0 न 0 92782xxxxx भी आता रहता है, किन्तु

करीब एक सप्ताह से नहीं है आ रहा है। यह जितेन्द्र सिंह का भांजा है। वित्तीय फ्राड में प्रयुक्त हो रहे बैंक खातों एव अन्य नाम–पता से प्रयोग किये जा रहे मोबाइल सिमो के बावत् पूछने पर बता रहे है कि साहब मोबाइल सिम एव बैंक खातो की उपलब्धता गांव के जितेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह मो0 न0 79854xxxxx, 99369xxxxx तथा शिवम सिंह निवासी फतेपुर रनिया, कानपुर देहात मो0 न0 74609xxxxx दद्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय फ्राड के तरीके के बावत् पूछताछ पर बता रहे है कि साहब हम लोग ग्रुप में बैठते है तथा सभी लोग अलग अलग ऐसे राज्य के लोगो से सम्पर्क करने का प्रयास करते है जो हमारी भाषा समझ सके। जैसे बिहार राज्य का नम्बर मिलाने हेतु शुरू की 04 डिजिट–8252, के बाद अन्दाज से नम्बर सेट कर मिलाते है फिर जैसे ही एक बार कोई नम्बर मिल गया तो उसी के बाद एक दो डिजिट आगे पीछे सम्पर्क करके मिलाते रहते है। इसी तरह मध्य प्रदेश राज्य का नम्बर मिलान हेतु शुरू की 04 डिजिट–9179 तथा उत्तर प्रदेश राज्य हेतु 04 डिजिट–9140, फिर आगे का नम्बर सेट करके मिलाते है। पकडे गये तीनो व्यक्तियों से बरामद मोबाइल फोन में लगे सिम नम्बरो को मौके पर उपलब्ध लैपटाप से समन्वय पोर्टल पर चेक किया गया तो त्रिभुवन सिंह उर्फ राम सनेही के मोबाइल फोन में लगे नम्बर 81770xxxxx को चेक किया गया तो मोबाइल नम्बर 81770xxxxx सहित एक दूसरे से लिंकेज मो0 न0 89609xxxxx, 96212xxxxx, 77549xxxxx, 99564xxxxx, 82732xxxxx पर कुल 08 शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर क्रमश शिकायत स० 33102250016218 श्री कन्हैयालाल, कप्तानगंज बस्ती (उ0प्र0) मो० न० 86011xxxxx, शिकायत सं0 23102250018548 श्री दुष्यंत, कविनगर सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद (उ0प्र0) मो0नं0 95550xxxxx, शिकायत सं० 33103240038106 रोहित कम्बोज नि० सहारनपुर उ0प्र0 मो0नं0 95287xxxxx. शिकायत सं0 33106240069404 बुधिराम गुप्ता नि० सोनभद्र उ0प्र0 मो0नं0 99358xxxxx, शिकायत सं0 23102250018031 काजोल नि0साढ कमिश्नरेट कानपुर नगर, उ0प्र0 मो0नं0 63076xxxxx, शिकायत सं0 33103240033952 राजेश कुमार नि० गाजीपुर उ0प्र0 मो0नं0 63874xxxxx, शिकायत सं० 33111230157496 संघमित्रा नि० खीरी उ0प्र0 मो0नं0 63942xxxxx, एव शिकायत सं0 23106240070284 अरुण कुमार यादव, नि० चोलापुर वरुणा कमिश्नरेट वाराणसी, उ0प्र0 मो0नं0 89319xxxxx दर्ज है। त्रिभुवन सिंह उर्फ राम सनेही से बरामद कीपेड मोबाइल के काल रजिस्टर को चेक जिया गया तो काल्ड मोबाइल नम्बर क्राशः 87950xxxxx, 72940xxxxx, 77630xxxxx, 79921xxxxx, 82520xxxxx, 63883xxxxx, 82520xxxxx, 82520xxxxx, 82520xxxxx, 82520xxxxx, 93041xxxxx, 82520xxxxx, 82520xxxxx, 82520xxxxx दर्शित है। इन नम्बरो पर व्यक्तिगत थाने की सीयूजी नम्बर क्रमशः 700760xxxxx एंव 94544xxxxx व 92363xxxxx से वार्ता कर सत्यापन पर धारक का नाम पता क्रमशः (1) श्री राहुल पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी ग्राम रमुवापुर थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती मो0न0 87950xxxxx, (2) श्री राहुल, भभुआ बिहार 72940xxxxx, (3) श्री साहिल, दिल्ली 77630xxxxx, (4) सुश्री रुचि, महिला आरक्षी डीसीपी वरुणा जोन वाराणसी मो०न० 79921xxxxx, (5) दिनेश नि० जमशेदपुर झारखण्ड मो0नं0 82520xxxxx, (5) श्री शुभम आरक्षी डीशीभो वरुणा जोन कार्यालय कमिश्नरेट वाराणसी मो००न० 63883xxxxx. (6) श्री राहुल 82520xxxxx, (7)–श्री दीपक कुमार गया बिहार प्रान्त 82520xxxxx, (8)– (9)– 82520xxxxx, (10)– श्री महबूब अंसारी निवासी भभुआ बिहार मो0नं0 93041xxxxx, (11)182520xxxxx, (12)–82520xxxxx (13)– 82520xxxxx बताया गया। इन मोबाइल धारक द्वारा वार्ता के क्रम में इस कथन की पुष्टि की गयी कि उन्हें पोर्न वीडियो देखने का आरोप गिरफ्तारी एव मुकदमे की धमकी देकर सेटल करने के नाम पर रूपये जमा करने हेतु कहा गया। पकडे गये तीनो व्यक्तियो से बैंक खाता जिनमें उनके द्वारा रुपये जमा कराये गये है के बावत् पूछने पर बता रहे है कि साहब हमे बैंक खाता नहीं याद है हमे जितेन्द्र सिंह या कुलदीप सिंह द्वारा जो भी मोबाइल नम्बर पैसे जमा कराने हेतु दिये जाते थे हम उसी नम्बर पर पैसे जमा करने हेतु देते है तथा काम होने के बाद हमें हमारा हिस्सा मिल जाता है। इस प्रकार पकडे गये तीनो अभियुक्तो (1)

जितेन्द्र सिंह पुत्र मैन बहादुर सिंह उम्र 28 वर्ष व (2) त्रिभुवन सिंह उर्फ राम सनेही पुत्र रोशन सिंह उम्र करीब 21 वर्ष निवासीगण ग्राम भगवानपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर एव (3) राहुल सिंह पुत्र मान सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम मीरपुर थाना थरियांव जनपद फतेहपुर हालपता–ग्राम भगवानपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर द्वारा साथियो के साथ मिलकर कूटरचित तरीके से अन्य नाम–पता की मोबाइल सिम प्राप्त कर स्वय को पुलिस अधिकारी बताकर काल्ड मोबाइल नम्बरो के धारको को मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखना आरोपित कर मुकदमा दर्ज होने तथा गिरफ्तारी करने धमकी देकर क्यू आर कोड यूपीआई लिंक मोबाइल नम्बर भेजकर सेटल के नाम पर वित्तीय धोखाधडी के कृत्य में लिप्त है। इनका कृत्य अपराध धारा 319(2)/318(2)/3(5)/338/308 (6) बीएनएस व 66 सी व 66 डी आई. टी ऐक्ट अन्तगत दण्डनीय अपराध होना पाते हुए कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर नियमानुसार समय 01.04 बजे हिरासत पुलिस में लेकर मौके पर गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया। दौरान गिरफ्तारी मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्तगण जितेन्द्र सिंह विभुवन सिंह उर्फ राम सनेही एवं राहुल सिह उपरोक्त से बरामद मोबाइल फोन की काच्ज पुलिस लेकर मौके पर वाहन सरकारी से रखे प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में अभियुक्तवार अलग अलग रखकर सील सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। अभियुक्तगण से जामातलाशी से बरामद धनराशि अलग अलग लिफाफे में रखकर चिटबंदी की गयी। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना उनके दवारा बताय गये मोबाइल नम्बर कर दी गयी। अभियुक्तगण जितेन्द्र सिह, राहुल सिंह एवं त्रिभुवन उर्फ राम सनेही सिह उपरोक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास सीसीटीएनएस पर जरिये दूरभाष वार्ता कर थाना कार्यालय से चेक करायी गयी तो अभियुक्त राहुल सिंह के विरुद्ध कुल 02 अभियोग क्रमशः जनपद कानपुर नगर के थाना कल्याणपुर पर अ0स0 367/2024 व थाना पनकी पर अ0सं0 279/2024 तथा अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध कुल 03 अभियोग जनपट फतेहपुर के थाना गाजीपुर पर क्रमशः अ0सं0 37/2020, 38/2020 एंव 188/2024 दर्ज है। फर्द मौके पर उपलब्ध लैपटाप से तैयार कर सभी सम्बन्धित को पढकर सुनाकर अलामात बनवाये गए। उपरोक्त तहरीर के आधार पर आवेदक/अभियुक्त व अन्य पन्द्रह अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–34/2025 पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में गलत तरीके से नामित किया गया है। मात्र मुख्य अभियुक्त के द्वारा विवेचक के दबाव में नाम ले लेने से आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। मुख्य अभियुक्तों द्वारा कूटरचित तरीके से मोबाइल सिम प्राप्त कर स्वयं को पुलिस अधिकारी बताकर काल्ड मोबाइल नम्बरों के धारकों को मोबाइल पर पार्न वीडियो देखना आरोपित कर मुकदमा दर्ज होने तथा गिरफ्तारी करने की धमकी देकर क्यू आर कोड/यू पी आई लिंक मोबाइल नम्बर भेजकर वित्तीय धोखाधड़ी करते थे। आवेदक/अभियुक्त का ऐसी धोखाधड़ी करने का कोई साक्ष्य विवेचक के द्वारा अभी तक संकलित नहीं किया गया है और विवेचक के पास ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे आवेदक को मामले में वांछित कर सके। घटनास्थल से जो मुख्य आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया था उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त का नाम गलत तरीके से प्रकाश में लाया गया जबकि मौके से अन्य आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई। अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिये पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त के मामले में वांछित किया गया जबकि आवेदक/अभियुक्त घटनास्थल में मौजूद ही नहीं था। आवेदक के बैंक खातों में ऐसा कोई धन नहीं आया जो वित्तीय साइबर फ्रॉड से सम्बन्धित है और न ही कोई काल रिपोर्ट है जो आवेदक के मोबाइल नम्बर से की गयी हो जिससे कोई वित्तीय साइबर फ्राड हुआ हो। मामले के विवेचक द्वारा आवेदक के प्रति किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य संकलन नहीं किया गया है और मुख्य अभियुक्त जितेन्द्र के द्वारा अभियुक्त अविनाश की संलिप्तता सिद्ध होने के बाद अभियुक्त अविनाश के द्वारा यह बताया गया कि वह किसी धीरेन्द्र यादव पुत्र रामपाल निवासी ग्राम अमिलिहा सिंहपुर अतर्रा थाना बिसण्डा जनपद बांदा से सिम को खरीदता है और मौके से पकड़े गये अभियुक्तों

द्वारा उस सिम का गलत तरीके से वित्तीय साइबर फ्राड करने के लिये उपयोग में लाया जाता था। मुख्य अभियुक्तों के बयानों एवं साक्ष्य संकलन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि मामले के विवेचक द्वारा जिन आरोपियों से आर्थिक लाभ मिल रहा उन्हें छोड़ रही है जबकि आवेदक/अभियुक्त जैसे गरीब रोजी रोजगार करके अपने घर परिवार का भरण पोषण करने वाले व्यक्तियों को मामले में फर्जी तरीके से फंसा रही है। अभियुक्तों द्वारा जिन खाता संख्या के सम्बन्ध में मामले के विवेचक को विवरण दिया गया है उनमें से कोई भी खाता संख्या आवेदक का नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति ने कोई शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया और न ही आवेदक/अभियुक्त के मोबाइल नम्बर से किसी भी प्रकार के साइबर फाड होने के सम्बन्ध में कोई शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है और न ही आवेदक ने किसी भी व्यक्ति से कपटपूर्वक पैसा वसूलने हेतु कोई कॉल किया। मामले के विवेचक ने उच्चाधिकारियों के सामने गुडवर्क दिखाने के लिये मात्र आवेदक को मामले में जबरियन वांछित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि आज तक मामले के विवेचक द्वारा आवेदक के खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य संकलन नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने किसी भी व्यक्ति को अपने खाते में पैसा भेजने के लिये या मांगने के लिये न तो प्रेरित किया है न ही उकसाया है और न ही विवेचक द्वारा आवेदक के खिलाफ पैसे के लेन–देन का साक्ष्य संकलित किया गया है और न ही आवेदक/अभियुक्त द्वारा किसी से अपने खाते में लेन–देन भी नहीं किया गया। आवेदक/अभियुक्त के घर में पुलिस बार–बार दबिस डाल रही है व आवेदक के परिवार वालों को परेशान कर रही है तथा गलत ढंग से आपराधिक मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है जिससे आवेदक/अभियुक्त की सामाजिक छवि खराब हो रही है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही किसी मामले में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर किसी भी समय किसी पुलिस अधिकारी/विवेचक द्वारा पूंछतांछ पर बुलाये जाने अथवा किसी न्यायालय में उपस्थिति होने के लिये अपेक्षा की जाएगी तो आवेदक/अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से विवेचक/न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। आवेदक/अभियुक्त दौरान विवेचना किसी साक्षी के ऊपर किसी प्रकार का कोई अनुचित दबाव नहीं डालेगा और न्यायालय के अनुमति के बिना भारत देश नहीं छोड़ेगा। अतः याचना किया है कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उचित जमानत/मुचलके पर रिहा किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण की उक्त अपराध में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त सहित अन्य सहअभियुक्तगण साथियों के साथ मिलकर कूटरचित तरीके से अन्य नाम–पता की मोबाइल सिम प्राप्त कर स्वयं को पुलिस अधिकारी बताकर काल्ड मोबाइल नम्बरों के धारको को मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखना आरोपित कर मुकदमा दर्ज होने तथा गिरफ्तारी करने धमकी देकर क्यू आर कोड यूपीआई लिंक मोबाइल नम्बर भेजकर सेटल के नाम पर वित्तीय धोखाधडी के कृत्य में लिप्त हैं। सहअभियुक्तगण जितेन्द्र सिंह, राहुल सिंह, त्रिभुवन सिंह व अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा मिलकर कूटरचना कर फर्जी सिम प्राप्त कर भिन्न–भिन्न मोबाइल नम्बरों पर फोन करके व्यक्तियों पर पोर्न वीडियो देखने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की बात कहे जाने तथा गिरफ्तारी की धमकी देकर वित्तीय धोखाधड़ी कर अपराध कर लाभ प्राप्त किये जाने का आरोप है। प्रस्तुत मामले की विवेचना

प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद नहीं है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मनोज सिंह की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–548/2026 निरस्त किया जाता है।

(राम किशोर III)
दिनांकः 08.04.2026
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नम्बर–01, फतेहपुर।